2779/ITcell
06/04/15

GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

ORDER

NO. 4/207-2014 HRL (1) **DATED, CHANDIGARH, THE 18.02.2015**

(202-666)

That in compliance of order dated 20.11.2013 passed by District Judge, Kaithal in civil suit titled as Makhan Singh Vs. General Public and taking into consideration the revised Matric certificate of the plaintiff, the date of birth of Sh. Makhan Singh, Lecturer Mathematics, Govt. Sr. Sec. School, Peoda (Kaithal) is hereby changed/corrected from 07.03.1973 to 13.08.1976.

T.C. Gupta
Principal Secretary to Govt. Haryana,
School Education Department,
Chandigarh

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN **DATED PANCHKULA THE** 3-4-15

A copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

1. The Principal Accountant General Haryana (A&E), Chandigarh.
2. District Education Officer, Kaithal. It is requested to make necessary entries in the Service Book and other relevant records.
3. Head of the Institution.
4. Sh. Makhan Singh, Lecturer Mathematics, Govt. Sr. Sec. School, Peoda (Kaithal).
5. Technology Officer (I.T. Cell).

Urgent

30/3/15

Superintendent HRL
For Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula

कार्यालय निदेशक सैकेंडरी शिक्षा हरियाणा, पंचकुला

कमांक: 5/35–2012 एच.आर.एम.ई.(4) **दिनांक पंचकुला 04.032015**

श्री हरी राम, लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी को निदेशालय के आदेश कमांक 5/35–2012 एच॰आर॰एम॰ई॰(4) दिनांक 27.08.2012 को नियम–8 के तहत चार्जशीट जारी की गई थी। जिसमें कर्मचारी पर निम्नानुसार आरोप लगाए गए थे:–

1. निदेशालय द्वारा श्रीमती राजबाला, सेवानिवृत मुख्य–शिक्षिका रा0प्रा0पा0 कासनी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पर दिनांक 05.05.2010 को जो एतराज लगाया गया वह एतराज जि0मौ0शि0अ0 कार्यालय के स्तर पर दूर किया जा सकता था लेकिन श्री हरि राम द्वारा यह एतराज खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भेजकर अनावश्यक रूप से देरी की गई तथा इसके उपरान्त भी कर्मचारी का चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल बिना अनुभाग अधिकारी को पुष्टी के भेजा गया जोकि मामले में गम्भीर चूक थी।
2. इसके अतिरिक्त कर्मचारी का आपातकालीन प्रमाण पत्र उसकी फाईल से गुम किया गया जोकि श्रीमती राजबाला द्वारा डुप्लीकेट लेना पड़ा।

कर्मचारी द्वारा उक्त चार्जशीट का उत्तर दिनांक शून्य को निदेशालय में प्रस्तुत किया गया जिसको जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी को भेजते हुए उनकी टिप्पणी मांगी गई। जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी द्वारा अपने पत्र कमांक स्टैनो–14/2228 दिनांक 01.08.2014 के तहत लिखा गया कि कर्मचारी द्वारा जो जवाब दिया गया है वह उससे पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि मामले में जो देरी हुई है वह उस समय अनुभाग अधिकारी के ज्यादातर अवकाश पर रहने के कारण हुई है। कर्मचारी द्वारा भी अपने आप को उक्त मामले में निर्दोष बताया।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत तथा जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी की टिप्पणी के आधार पर मामले में मैं सक्षम अधिकारी होने के नाते, श्री हरी राम, लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी के विरूद्ध जारी की गई नियम–8 की चार्जशीट को फाईल करने के आदेश पारित करती हूं।

सुमेधा कटारिया
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
कृतेः निदेशक सैंकेंण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

पृष्ठांकन कमांक सम **दिनांक पंचकुलाः–** 30/3/15

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी ।
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी।
3. महालेखाकार हरियाणा, चण्डीगढ़।
4. श्री हरी राम, लिपिक, कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, भिवानी ।
5. आई0टी0 सैल।

1/4/15
Programmer (Varun)

अधीक्षक एच.आर.एम.ई.
कृतेः निदेशक सेकैण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।

D:\MAHAVIR SIR(4)\OFFICE ORDER\OFFICE ORDER.Docx

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला

आदेश कमांक 5/6–2013 एच0आर0एम0ई0 (1) **दिनांक पंचकूला :– 23.01.2015**

श्री सुमित चौधरी, लिपिक कार्या0 जि0मौ0शि0अ0 करनाल को निदेशालय के आदेश कमांक 5/6–2013 एच0आर0एम0ई0 (1) दिनांक 6.2.13 को नियम 8 में निम्न आरोपों के तहत चार्जशीट किया गया था:–

यह कि याचिका कमांक 8411/2010 में दिनांक 16.11.11, 14.3.12 को सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने शपथ पत्र दायर करने के निर्देश दिये कि यादी कमांक 20/149–2002 स्था–111–2 दिनांक 24.11.03 की हिदायतें, निदेशक प्राथमिक शिक्षा महोदय द्वारा किन परिस्थितियों में जारी की गई तथा क्या ये हिदायतें अब भी व्यवहार में है। श्री सुमित चौधरी इस दौरान उपरोक्त केस के डीलिंग हैंड रहे। कर्मचारीं द्वारा इस कोर्ट केस के संबंध में तथा माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसलिए विभाग द्वारा समय पर शपथ पत्र दायर नहीं किया जा सका और माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.11.2012 को मामले में 40,000/– रूपये की राशि की कोस्ट विभाग/जिम्मेवार कर्मचारी पर डाल दी। इस प्रकार कर्मचारीं ने मामले में गंभीर चूक की है।

कर्मचारी द्वारा चार्जशीट का जवाब दिनांक 27.11.2014 को उचित माध्यम से इस विभाग को भेजा जिस पर जि0मौ0शि0अ0 करनाल से उपरोक्त उत्तर पर टिप्पणी मांगी गई। जि0मौ0शि0अ0 करनाल ने अपने पत्र दिनांक 05.06.14 द्वारा कर्मचारी के उत्तर को उचित बताते हुए तथा मामले में छानबीन के बाद कर्मचारी दोषी प्रतीत नहीं होता है। कर्मचारी द्वारा जानबूझकर यह चूक नहीं की गई तथा माननीय कोर्ट द्वारा डाली गई कोस्ट 40000/– कोर्ट में जमा करवा दी गई। अतः अनुरोध किया कि कर्मचारी के विरूद्ध नियम 8 की चार्जशीट को निरस्त करने की सिफारिश की गई।

अतः कर्मचारी के उत्तर तथा रिकार्ड का अवलोकन करते हुए तथा जि0मौ0शि0अ0 करनाल की टिप्पणी दिनांक 05.06.14 के मद्देनजर कर्मचारी की चार्जशीट को फाईल करने के आदेश पारित करती हूं।

(सुमेधा कटारिया)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

रजि0
श्री सुमित चौधरी लिपिक
कार्या0 जि0मौ0शि0अ0 करनाल।
पृष्ठाकन कमांक –सम– दिनांक, पंचकूला :– 21/3/15

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

1. जिला शिक्षा अधिकारी, **करनाल** ।
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी करनाल।
3. **आई0टी0सैल (स्थानीय)।**

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
कार्याःनिदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला

1/4/15

Programmer (Varun)

D:\shakuntla mam, umesh sir (1)\office order.doc

कार्यालय निदेशक सैकेंडरी शिक्षा हरियाणा, पंचकुला

कमांकः 5/35–2012 एच.आर.एम.ई.(4) **दिनांक पंचकुला 04.032015**

श्री देवराज, लिपिक, कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी बौंदकलां (भिवानी) को निदेशालय के आदेश कमांक 5/35–2012 एच.आर.एम.ई.(4) दिनांक 27.08.2012 को नियम–8 के तहत चार्जशीट जारी की गई थी। जिसमें कर्मचारी पर निम्नानुसार आरोप लगाए गए थेः–

1. मु0अ0 रा0प्रा0पा0 कासनी द्वारा श्रीमती राज बाला सेवानिवृत, मुख्य–शिक्षिका का चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल दिनांक 20.10.09 को भेजा गया था लेकिन श्री देवराज द्वारा 2 मास 17 दिन तक अपने पास रखकर दिनांक 06.01.2010 को एतराज लगाकर वापस भेज दिया गया। अतः श्री देवराज द्वारा मामले को अनावष्यक रूप से अपने पास रखा तथा अनुचित देरी की गई।
2. इसके अतिरिक्त कर्मचारी का आपातकालीन प्रमाण पत्र उसकी फाईल से गुम किया गया जोकि श्रीमती राजबाला द्वारा डुप्लीकेट लेना पड़ा।

कर्मचारी द्वारा उक्त चार्जशीट का उत्तर दिनांक शून्य को निदेशालय में प्रस्तुत किया गया जिसको जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी को भेजते हुए उनकी टिप्पणी मांगी गई। जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी द्वारा अपने पत्र कमांक स्टैनो–14/2228 दिनांक 01.08.2014 के तहत लिखा गया कि कर्मचारी द्वारा जो जवाब दिया गया है वह उससे पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि मामले में जो देरी हुई है वह उस समय अनुभाग अधिकारी के ज्यादातर अवकाश पर रहने के कारण हुई है। कर्मचारी द्वारा भी अपने आप को उक्त मामले में निर्दोष बताया।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत तथा जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी की टिप्पणी के आधार पर मामले में मैं सक्षम अधिकारी होने के नाते, श्री देवराज, लिपिक, कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी बौंदकलां (भिवानी) के विरूद्ध जारी की गई नियम–8 की चार्जशीट को फाईल करने के आदेश पारित करती हूं।

सुमेधा कटारिया
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
कृतेः निदेशक सैकेंण्डरी शिक्षा हरियाणा
पंचकुला।

पृष्ठांकन कमांक सम **दिनांक पंचकुलाः–** 30/3/15

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी ।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी बौंदकलां (भिवानी)।
3. महालेखाकार हरियाणा, चण्डीगढ़।
4. श्री देवराज, लिपिक, कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी बौंदकलां (भिवानी)।
5. आई0टी0 सैल।

अधीक्षक एच.आर.एम.ई.
कृतेः निदेशक सेकैण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।

1/4/15
Programmer (Vaani)

D:\MAHAVIR SIR(4)\OFFICE ORDER\OFFICE ORDER.Docx